

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, माओप्रओसेओ
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक, भू-अर्जन-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2029-भू राजस्व 104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध-0003- भूदान यज्ञ कमीटी की सहाय्य अनुदान 3104-सहायक अनुदान-वेतन माँग संख्या-40 विपत्र कोड-एन 2029001040003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत कुल 1,58,16,000/- (एक करोड़ अठावन लाख सोलह हजार) रुपये का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संओ-90 (7)/राओ दिनांक-16.02.2017 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक-136(7) दिनांक-06.03.2017 के आलोक में अध्यक्ष, भूदान यज्ञ कमीटी को सहाय्य अनुदान के लिए रूओ 1,58,16,000/- (एक करोड़ अठावन लाख सोलह हजार) रुपये मात्र राशि आवंटित की जाती है।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जायेगी।
3. राशि का भुगतान अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ कमीटी को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा।
4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिओ (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
5. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
6. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
7. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

हओ/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-...../राओ, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेओ एवं हओ), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

हओ/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-...../राओ, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना/अध्यक्ष, बिहार भूदान यज्ञ कमीटी, गर्दनीबाग, रोड नंओ-21, पटना/प्रशाखा-2 (लेखा शाखा) को दो प्रतियों में/विभागीय प्रशाखा-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हओ/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-46-(5)...../राओ, पटना-15, दिनांक-15/3/17

प्रतिलिपि :- विभागीय आईओ टीओ मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।